

पत्र संख्या : 7ब/2705-योज०सं०-01/13

123

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 20-11-13

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के मुख्य शीर्ष-2705-कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष-2705-कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2705-कमान क्षेत्र विकास,	240.00	परिशिष्ट-1 पर वर्णित

कुल आवंटित राशि - ₹ दो करोड चालीस लाख मात्र।

- आवंटित राशि उपशीर्षान्तर्गत वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

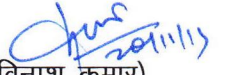
ज्ञापांक :-

123

राँची, दिनांक :- 20-11-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा/राँची/देवघर/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

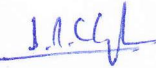
ज्ञापांक :-

123

राँची, दिनांक :- 20-11-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक.....123

दिनांक 20-11-13

का अनुलानक

परिशिष्ट-1

-जल संसाधन विभाग,
-कमान क्षेत्र विकास,

(वित्तीय वर्ष 2013-14)

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	विपत्र कोड	बजट उपबंध	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्र. स्वी. की राशि एवं प्रसंग	मार्च 2013 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित राशि			अभ्युक्ति
									पूर्व का आवंटन	आवंटित राशि	कुल आवंटन	
1	लघु शीर्ष-001-कौची कमान क्षेत्र विकास, उप शीर्ष-02-कौची सिंचाई योजना, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 44-लघु निर्माण कार्य	49P270500 001020544	80.00	सिंचाई प्रमंडल बुण्डु	राँची	कौची सिंचाई योजना	₹ 1330.80 लाख 22/05-06 प्र०स्वी० दिनांक 08.02.06	10.24	0.00	80.00	80.00	
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के विशेष अंगीभूत उपयोजना, उप शीर्ष-02-कौची सिंचाई योजना, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 44-लघु निर्माण कार्य	49P270500 789020544	70.00	सिंचाई प्रमंडल बुण्डु	राँची	कौची सिंचाई योजना	₹ 784.00 लाख 22/05-06 प्र०स्वी० दिनांक 08.02.06	48.02	0.00	70.00	70.00	
3	लघु शीर्ष-101-मयूरक्षी कमान क्षेत्र विकास, उप शीर्ष-01-मयूरक्षी सिंचाई योजना, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 44-लघु निर्माण कार्य	49P270500 101010544	80.00	सिंचाई प्रमंडल दुमका	देवघर	मयूरक्षी सिंचाई योजना			0.00	20.00	20.00	
4	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के विशेष अंगीभूत उपयोजना, उप शीर्ष-01-मयूरक्षी सिंचाई योजना, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य	49P270500 789010544	70.00	सिंचाई प्रमंडल दुमका	देवघर	मयूरक्षी सिंचाई योजना			0.00	70.00	70.00	
कुल									0.00	240.00	240.00	

आवंटित राशि - ₹ दो करोड चालीस लाख मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(अविनाश कुमार)
सचिव